न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 124/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/208

प्रार्थीगणः—

1. तुलसी देवी पत्नी स्वं. धन्नाराम
2. रमेश पटेल पुत्र स्वं. धन्नाराम जातिगण पीटल पटेल, निवासीगण सेदरिया तहसील रोहट जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. प्रकाश पुत्र स्वं. धन्नाराम जाति पीटल पटेल पता गांव सेदरिया तहसील रोहट, जिला पाली हाल निवासी शिव नगर केप्टन गुमानसिंह के घर के पास वाली गली पाली
2. सोरम पत्नी मुकेश कुमार जाति सरगरा, निवासी सेदरिया तहसील रोहट जिला पाली
3. ग्राम पंचायत खुण्डावास पंचायत समिति रोहट

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत, श्री बाबुलाल पंवार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, श्री सुरेश राजपुरोहित, श्री भैराराम परिहार।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : 09/12/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डावास द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.11.2021 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.11.2021 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का पट्टासुदा मकान ग्राम सेदरिया में स्थित है जिसके पट्टा संख्या 24 दिनांक 16.06.1984 है। उक्त मकान स्व. धनीया उर्फ धन्नाराम की पुश्तैनी सम्पत्ति है और स्वं. धनाराम का देहान्त दिनांक 28.06.2002 को हो चुका है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 उसके वारिस है तथा उक्त मकान पर उभयपक्ष का वैधानिक व भौतिक कब्जा है एवं इस मकान का आदिनांक तक बंटवाड़ा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने विधिविरूद्ध तरीके से ग्राम पंचायत के समक्ष मिथ्या दस्तावेज पेश कर उक्त पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पेश नहीं किया, आवेदन शुल्क नहीं दिया, तीन पंचों से कोई रिपोर्ट नहीं

अति. जिला कलक्टर, पाली

ली, कोई आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की। ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे सुदा भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड का पूर्व में कोई पट्टा जारी नहीं किया हुआ है। उक्त भूखण्ड आपसी सहमति बंटवाड़ा से अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आया हुआ है, उसी अनुरूप ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 ने विधिनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया, नियमानुसार शुल्क पेश की एवं मनोनीत पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और आपत्तियॉ आमत्रित की गई। ग्राम पंचायत में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत पंचायती राज नियमों के तहत विधिनुसार प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। प्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खुण्डावास द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.11.2021 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.11.2021 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी मकान पुश्तैनी है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सगे माता, भाई व बहन है लेकिन उनकी माता की सहमति से जैर निगरानी मकान का पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया जो कि विधिनुसार है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाते है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने आवेदन पत्र में भूमि पर आधिपत्य पुश्तैनी बताया है। इसके अतिरिक्त उभयपक्ष की यह स्वीकारोक्ति है कि उभयपक्ष आपस में भाई बहन है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस यह तर्क दिये कि उक्त मकान बंटवाड़ें में उनके हिस्से में आया लेकिन उन्होनें इसकी ताईद में ऐसे कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किये। प्रकरण में यह स्वीकृत और प्रमाणित कथन है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है और यदि कोई तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हो तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. साथ ही जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है और इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना–सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहनों का हित (अधिकारी) इसमें है–याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह–स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था–अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह–स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है–अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है–किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226–ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया–चुनौती–विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है–अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है–अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है–महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर जारी किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आराजी का पूर्व में कोई पट्टा जारी नहीं हो रखा है और न ही अधिवक्ता प्रार्थी ने पूर्व पट्टे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश किये है। प्रकरण में विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या जैर निगरानी पट्टे का पूर्व में कोई पट्टा जारी हो चुका है अथवा नहीं ? इन तथ्यों की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर यह पाते है कि ग्राम पंचायत सेदरीया द्वारा मिसल संख्या 24/1983–84 दिनांक 15.08.1983, संकल्प संख्या 1 दिनांक 29.10.1983 एवं उसकी पालना में धनीया पुत्र आदाजी जाति पीटल निवासी सेदरिया के पक्ष में पट्टा संख्या 24 दिनांक 16.06.1984 को जारी किया हुआ है एवं उसके पड़ौस पूर्व दिशा में आबादी, पश्चिम दिशा में पाबुसिंह, उत्तर दिशा में हरजी पुत्र भोमाजी एवं दक्षिण दिशा में प्रभु पुत्र हब्ताजी पीटल का पड़ौस स्थित है जबकि जैर निगरानी पट्टे की उत्तर दिशा में दामोदर दास, दक्षिण दिशा में पाबूसिंह, पूर्व दिशा में प्रभूराम एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता दरवाजा अंकित है। उपरोक्त दोनों पट्टों के पड़ौस आपस में मिलान नहीं करते है और अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त पट्टे की प्रति के अलावा ऐसे काई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह प्रकट हो सके कि पूर्ववर्ती पट्टे की भूमि पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया हो। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थीगण का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.10.2021, जो कि प्रथम आदेशिका थी, के द्वारा तीन सदस्यों को मौका निरीक्षण हेतु आदेश दिये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि का जो नक्शा तैयार किया गया, उस पर न तो सायल के हस्ताक्षर है और न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त भूमि के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर केवल दो पंचों के ही हस्ताक्षर है जबकि नियमानुसार तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 20.10.2021 के अनुसार जैर आराजी आबादी में होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में पटवारी हल्का रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है लेकिन सम्पूर्ण मिसल में ऐसी कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल दो गवाहों के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में

अति. जिला कलक्टर, पाली

माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एंव उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खुण्डावास द्वारा मिसल संख्या 114/2021–22, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.11.2021 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.11.2021 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख ग्राम पंचायत को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली